कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही

सी.यू.जी. – 9454400307, दूरभाष- 05414-250236, ई-मेंल- spsrn-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद भदोही

दिनांक- 28.09.2025

थाना चौरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पचपटिया में ड्रोन/खिलौना जब्त, अभियोग पंजीकृत, उक्त ड्रोन संबंधी नाम प्रकाश में आने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 28.09.2025 को श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में श्री शुभम अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में स्थानीय पुलिस द्वारा "ड्रोन अफवाहों के खिलाफ अभियान" के माध्यम जनता को ड्रोन के दुरुपयोग और अफवाहों के बारे में जागरूक कर जनता के बीच गलत सूचनाओं और डर को दूर करने के लिए जनपद के सभी थानों पर ग्रामीणों के साथ बैठक की गई। जिसके बावजूद ग्राम पचपटिया में ग्रामीणों की शोर-गुल ड्रोन-ड्रोन की आवाज सुनाई दे रही थी जहां पर आसमान में 70-80 फीट की उंचाई पर ड्रोन उड़ रहा था। जिसमें लाल एवं नीले रंग की लाइट जल रही थी। जो थोड़ी दूर पर ही ग्राम पचपटिया में ही सड़क के किनारे धीरे-धीरे नीचे खेत में गिर गया जिसे लगभग 23.55 बजे रात्रि को चौरी पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया है। इसके संबंध में थाना चौरी पर दिनांक 27.09.2025 को मुकदमा अपराध संख्या 151/2025 धारा 125,223 बीएनएस एवं 22/50 ड्रोन रूल एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

थाना चौरी क्षेत्र अंतर्गत एक प्लास्टिक का ड्रोन/खिलौना मिला है। जिसमे प्लास्टिक के चार पंख छोटे-छोटे है। एक प्लास्टिक का गोल गेंद के अन्दर कुछ डिवाइस है तथा लाइट भी लगी है जो पूरी तरह खिलौने जैसा प्रतीत हो रहा है। परन्तु उक्त ड्रोन/खिलौना के आसमान में उड़ने से ग्रामीणों में यह भय व्याप्त है कि यह एक ड्रोन है जिससे रैकी करके फोटो खींचकर चोरी हो रही है। ग्रामीण चोरी के भय से रात भर सो नही रहे है डरे सहमें है। यह ड्रोन किसी व्यक्ति द्वारा उड़ाकर ग्रामीणों में भय पैदा करके माहौल खराब किया जा रहा है। ऐसे अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा जाएगा।

पंजीकृत अभियोग:-

थाना चौरी पर दिनांक 27.09.2025 को मुकदमा अपराध संख्या 151/2025 धारा 125,223 बीएनएस एवं 22/50 ड्रोन रूल एक्ट का उपयोग पंजीकृत किया गया है।

ड्रोन उड़ाने के लिए, आपको डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर अपने ड्रोन को पंजीकृत करना होगा। ड्रोन को 400 फीट से अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ाया जा सकता है। हवाई अड्डों, सैन्य ठिकानों और रणनीतिक स्थानों जैसे "नो-फ्लाई ज़ोन" में इसका संचालन प्रतिबंधित है। रात में उड़ान के लिए अनुमति आवश्यक है, और किसी भी दुर्घटना या सुरक्षा उल्लंघन की सूचना स्थानीय पुलिस को दिया जाना चाहिए।